JAGDAM COLLEGE, CHAPRA, (BIHAR)

(Constituent Unit of Jai Prakash University, Chapra)

Phone :(06152) – 232407 (O)
:(06152) – 234010 (R)

Letter No.- JC-1160 Dated:- 03-01-2020

PRINCIPAL

Students' union Election 2019-20

Notice

As per the notification of J.P.U Letter No. 3073 (R) dated 12.12.2019 there shall be College union and council members of the college. The following shall be the office bearers of the College Union.

I. President
II. Vice – President
III. General Secretary
IV. Joint secretary
V. Treasurer

On the basis of the strength of the members of the college there will be 4 (four) Council members.

For the above mentioned contestants having requisite eligibility may have Nomination Form free of cost from the office of the college Head clerk or download it from JPU Website- www.jpv.bih.nic.in For voter list or any paper related to election rupee 1 (one) will be charged for each page.

Contestants are directed to submit their duly filled nomination forms and other supporting papers to the deputed Officer in schedule time.

Final electoral roll has been published on college notice board as well as on college website- www.jagdamcollege.org

03/01/2020
Principal/Election Officer

882
3.1.2020

PRINCIPAL
Jagdam College, Chapra

C:\Users\Jagadam College\Desktop\Forwarding.doc

JAGDAM COLLEGE, CHAPRA, (BIHAR)

(Constituent Unit of Jai Prakash University, Chapra)

Phone :(06152) – 232407 (O)
:(06152) – 234010 (R)

Letter No.- JC-1162

Dated:- 03-01-2020

PRINCIPAL

Office of the Election Officer

Notice

Schedule of College Students' Union Election -2019-20

SL.No.	Particulars	Date
1	Publication of Draft Electoral Roll	15.12.2019
2	Obtaining objection on Electoral Roll and its redressal	16.12.2019
3	Publication of final Electoral Roll	17.12.2019
4	Nominations of the Candidate to contest the election	04.01.2020 (11.00 am to 04.30 pm)
5	Scrutiny of the Nomination	05.01.2020
6	Withdrawal of Candidature and publication of final list of Candidates	06.01.2020
7	Voting in the college	13.01.2020 (10.00 am to 04.00 pm)
8	Counting of Votes & Declaration of Results	14.01.2020 From 11.00 am onwards

4.4 03/01/2020

Principal
CUM
Elections Officer
Jagdam College Chapra

PRINCIPAL
Jagdam College, Chapra

882
03.01.2020

C:\Users\Jagadam College\Desktop\Forwarding.doc

JAGDAM COLLEGE, CHAPRA, (BIHAR)

(Constituent Unit of Jai Prakash University, Chapra)

Phone :(06152) – 232407 (O)
:(06152) – 234010 (R)

Letter No.- JC 1161

Dated:- 03-01-2020

PRINCIPAL

STUDENTS UNION ELECTION 2019-20

Papers to be submitted at the time of nomination in the following sequence.

1. Affidavit / Undertaking – By First class Executive Magistrate.
2. Proof of no Academic Arrear issued by controller of Examinations ,Jai Prakash University Chapra

&

Self attested copies of following documents :

3 Proof of Age –Matriculation Certificate .
4 Copy of Electoral Roll where his / her name appears with serial Number.
5 Copy of Admission Receipt.
6 Copy of Identity Card.
7 Copy of Electoral Roll where the name of the proposer appears with serial number.
8 Copy of Electoral Roll where the name of the Seconder appears with serial number.
9 Copy of Identity Card of the proposer.
10 Copy of Identity Card of the Seconder.
11 Proof of 75% Attendance.

03/01/2020
Principal
Cum
Election officer
Jagdam College Chapra

PRINCIPAL
Jagdam College, Chapra

882
03.01.2020

C:\Users\Jagadam College\Desktop\Forwarding.doc

जगदम महाविधालय , छात्र संघ चुनाव 2019

1.प्रत्याशी होने की अहर्ताएँ/अनहर्ताएँ

स्नातक वर्ग के छात्रों कि लिए–

जन्म की तिथि नामांकन की तिथि 04.01.2020 को 17 से 22 वर्ष के बीच होना चाहिए।

स्नातकोत्तर छात्रों के लिए –

जन्म की तिथि नामांकन की तिथि 04.01.2020 को 25 वर्ष से ज्यादा नहीं हो।

प्रत्याशी वही हो सकता है जो

(क) विश्वविधालय या महाविधालय द्वारा आयोजित किसी भी परीक्षा में न कभी कदाचार के लिए दण्डित हुआ हो और न ही किसी परीक्षा मे कभी प्रोन्नत (Promoted) हुआ हो और न ही कभी अनुत्तीर्ण (Fail) हुआ हो ।

(ख) महाविधालय से अनुशासनहीनता या न्यायालय द्वारा अपराधी घोषित होने के आधार पर कभी निष्कासित नहीं हुआ हो ।

अन्य बातें –

क. प्रत्याशी को एक वर्ग में एक सत्र से अधिक सत्रों में नहीं होना चाहिए।

ख. प्रत्याशी को अपने अध्ययन काल में विश्वविधालय या महाविधालय या किसी अन्य संस्थान में वेतन – भोगी नहीं होना चाहिये।

ग. प्रत्याशी को महाविधालय/विश्वविधालय में अध्ययन करते हुए प्रथम नामांकन से पाँच वर्षो से अधिक न हुआ हो।

घ. प्रत्याशी की अपने वर्ग में उपस्थिति 75 प्रतिशत से कम न हो।

2 नियम–

1. प्रत्याशी चुनाव में 2000 रूपयों से अधिक खर्च नहीं करेगा।
2. चुनाव के परिणाम के घोषित होने के दो सप्ताह के भीतर प्रत्याशी अपने चुनाव खर्च का पूरा ब्यौरा विश्वविद्यालय के अधिकारी को देगें।विश्वविद्यालय इस ब्यौरा के लेखा परीक्षण रिपोर्ट को किसी उपयुक्त माध्यम के द्वारा दो दिनो के भीतर छात्र संघ के सभी सदस्यो की जानकारी के लिए प्रकाशित कर देंगे।
3. कोई भी प्रत्याशी जाति, धर्म, भाषा, लिंग के आधार पर चुनाव प्रचार नहीं करे और न आपसी विद्वेष फैलायें।
4. प्रत्याशी ये काम विल्कुल न करें –
    1. मतदाता को डराना
    2. नकली मतदाताओं को बूथ पर लाना
    3. पौलिंग बूथ से 100 मीटर की परिधि के अन्दर चुनाव प्रचार करना
    4. चुनाव की निर्धारित तिथि के पूर्व के 24 घंटो की अवधि में प्रचार करना
    5. मतदाताओं को बूथ पर लाने–ले जाने के लिए परिवहन की व्यवस्था करना
    6. चुनाव प्रचार में किसी प्रकार का मुद्रित पोस्टर, मुद्रित पेम्फलेट या अन्य संबधित मुद्रित सामग्री का उपयोग करना
    7. महाविद्यालय या विश्वविद्यालय की दीवालों या संपत्ति पर चुनाव से संबंधित बातों को लिखना और उन्हे विकृत कर देना।
    8. कैम्पस के बाहर किसी स्थान पर/ किसी धर्मस्थान से चुनाव प्रचार करना/रैली आदि निकालना
5. बिना वैध परिचयपत्र के किसी भी व्यक्ति को मतदान केद्र में मतदान कें दिन प्रवेश नहीं दिया जाएगा।
6. चुनाव के दिन पानी के अलावे कोई भी खाद्य या पेय पदार्थं उपस्थित मतदाताओं को नहीं दिया जाएगा।
7. प्रत्याशी हस्तलिखित कागजों और उसकी छायाप्रतियों से या रैली एवं बैठकों से चुनाव प्रचार कर सकते है पर उनका उपयोग कैम्पस के भीतर ही करेंगे और पोस्टर भी महाविद्यालय द्वारा निर्धारित स्थानों पर ही चिपकायेगे।
8. प्रत्याशी चुनाव–प्रचार के दौरान किसी भी प्रकार के शैक्षणिक कार्य को बाधित नहीं करेंगे।

3 प्रत्याशी की घोषणा –

1. मेरा कोई आपराधिक इतिहास नहीं है अर्थात मुझ पर कोई अभियोग पत्र मुकदमा नहीं डाला गया है , मुझे कभी भी आपराधिक कृत्य के लिए दण्डित नहीं किया गया है और मुझ पर विश्वविधालय या महाविधालय के द्वारा दुर्व्यवहार के आधार पर कभी अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं की गई हैं।
2. मुझे पिछले एकेडिमिक सत्र के किसी भी पत्र की परीक्षा देना बाकी नही है। मैं वर्तमान सत्र में प्रोन्नत होकर नहीं आया/आयी हूँ और मैंने सत्र की वार्षिक परीक्षा पूर्वतः उत्तीर्ण कर ली है ।
3. मैं पिछले एकेडेमिक सत्र की परीक्षा मे अनुत्तीर्ण नहीं हूँ और न ही वर्तमान एकेडेमिक सत्र मे दुबारा नामांकित हूँ ।
4. मैं ऐसा कोई काम नहीं करुगा/करूँगी भजिससे विश्वविधालय के शैक्षणिक हित पर दुष्प्रभाव पडे।

4.प्रत्याशी प्रस्तुत करेगें –

1. हाई स्कूल के प्रमाण पत्र की स्व – अभिप्रमाणित प्रति
2. अपने वर्ग में 75 प्रतिशत उपस्थिति का प्राचार्य द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाणपत्र
3. परीक्षा नियंत्रक द्वारा निर्गत प्रमाणपत्र जिसमें उल्लेखित हो कि प्रत्याशी किसी भी पत्र की परीक्षा बाकी नहीं हैं और वह किसी परीक्षा से कभी निष्कासित नहीं हुआ हैं।
4. एक एफिडेविट जिसमें लिखा हो कि
   (क) प्रत्याशी का कोई आपराधिक इतिहास न रहा है ।
   (ख) प्राचार्य के द्वारा उसके विरूद्ध कभी अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं हुआ हैं।
5. मतदाता सूची में उसके नामांकित होने का प्रमाण
6. एक एफिडेविट जिसमें उल्लेखित हो –
   (क) प्रत्याशी को किसी न्यायालय से कभी सजा नहीं मिली हैं ।
   (ख) किसी भी न्यायालय में प्रत्याशी के विरूद्ध कोई आपराधिक मुकदमा नहीं चल रहा हैं।

5.मतदाता चुनाव के दिन ये दिखलायेगे–

(क) अपना मूल परिचय पत्र एवं नामांकन रसीद की मूलप्रति

अथवा

(ख) अपने नामांकन के रसीद की मूल प्रति एवं मतदाता पहचान पत्र,आधार कार्ड ड्राइविग लाइसेंस ,महाविधालय पुस्तकालय परिचर्य पत्र । 03/01/2020

निर्वाचन पदाधिकारी

PRINCIPAL

जगदम कॉलेज, छपरा Jagdam College, Chapra

3.1.20